

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक क्लर्क मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी -- साधुराम जाट (आर0ए0एस0)

वा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
18/18	27.04.2018	04.09.2018

अनुदान

ताराचन्द पुत्र चन्दर

इन्द्रजीत पुत्र रामनाथ

विष्णु पुत्र रामनाथ

मन्जू पुत्री रामनाथ

सुमन देवी पत्नी रामनाथ

जगन्नाथ

राजाराम

फूलसिंह पुत्रान परताराम जातियान अहीरान निवासीया । तिनकीरुडी तह0 मुण्डावर ।

:-वादीगण

बनाम

ओमप्रकाश

रतनलाल

धर्मवीर

बलवन्त

हंसराज पुत्रान कालूराम

लल्लूराम पुत्र बालाराम

मातराम पुत्र मुखराम

मनोज कुमार

कृष्ण कुमार पुत्रान रंगराव

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

1. सुमन पुत्री रंगराव
1. फूला पत्नी रंगराव जातियान अहीरान निवासीयान ति नकीरूडी तह0 मुण्डावर।
2. लैण्ड होल्डर जर्जे तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर।
3. बैंक मैनेजर बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मुण्डावर जिला अलवर।
4. सहायक अभियन्ता जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड मुण्डावर जिला अलवर।

:- प्रतिवादीगण

दावा-तकासमा आराजी

पस्थिति :

श्री जगन्नाथ यादव वकील-वादीगण

-:: निर्णय:-

दिनांक:- 04.09.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय आदेश पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित आये। पत्रावली पेश की गई। चूंकि वादीगण का वाद तकासमा आराजी के बाबत का पेश है। वादीगण के पत्र का सारतः रहा कि हाल आराजी ख0न0 577/186, 578/194, 21, 22, 23, 306, 57/90, 568/197, 569, 87, 711/194, 712/258, 134, 174, 621/138, 622/233, 23/257, 88, 637/198, 638/239, 133, 170, 115, 232, 639/257, 640/283, 41/284, 195, 196, 181, 182, 184, 706/94, 115, 193, 177, 247, 699/138, 92/178, 693/20, 100/119, 103 वाके ग्राम तिनकीरूडी एवं ख0न0 1482, 1489, 490, 1491, 1492, 1493, 1504 वाके ग्राम गांधीनगर तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत का पेश है जो हम वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 11 की शामिलता खाते की आराजी है। जिसका मौके पर तकासमा कर काश्त कर रहे हैं। परंतु राजस्व रिकार्ड में तकासमा नहीं हुआ है। तकासमा कराये जाने हेतु दावा पेश कर निवेदन है कि-

वादी संख्या 1 लगायत 5 के कब्जे हिस्से में वाके ग्राम तिनकीरूडी तहसील मुण्डावर की आराजी ख0न0 174/1.48, 193/0.24, 196/0.21, 712/258/0.33, 39/257/0.25, 569/255/0.20, 232/0.33 हैं। शामिल एवं ख0न0 640/283/0.11,

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

11/284/0.11 है 0 का 1/2 भाग तथा ख0न0 88 रकवा 1.07 में से 0.27 है 0, 87 रकवा 0.95 में से 0.47 है 0, शेष रकवा वादी संख्या 6 लगायत 8 के नाम दर्ज रहेगा तथा ख0न0 23/0.99 में से 0.25 है 0 व ख0न0 22 रकवा 1.17 में से 0.73 है 0 वादी संख्या 1 को 1/2 भाग व वादीगण 2 लगायत 5 को 1/2 भाग दर्ज कर खाता अलग अलग गणित कर खातेदारी दर्ज की जावे। उक्त समस्त आराजीयत वाके ग्राम तिनकीरुडी की आराजी है। विवादित आराजी ख0न0 712/258 व 711/194 की खातेदार सरजा पत्नी तराम फौत हो चुकी है। जिसके वारिस वादी संख्या 6 लगायत 8 है। उक्त आराजी में से सरजा का नाम हटाकर उपरोक्त बंटवारे अनुसार दर्ज किया जावे।

वादी संख्या 6 लगायत 8 को उक्त वाके ग्राम तिनकीरुडी तहसील मुण्डावर की आराजी ख0न0 170/1.24, 184/0.25, 185/0.16, 577/186/0.32, 638/239/0.34, 23/257/0.35, 622/233/0.34 है 0 शालिम व 641/284/0.11, 640/283/0.11 है 0 का 1/2 भाग ख0न0 87/0.95 में से 0.48 है 0, 88/1.07 में से 0.80 है 0, 567/90/0.6 है 0 शालिम, 23/0.99 में से 0.27 है 0, 22/1.47 में से 0.74 है 0 के संभाग के खातेदार दर्ज कर अन्य का नाम हजफ किया जावे।

वाके ग्राम तिनकीरुडी तहसील मुण्डावर की आराजी ख0न0 133/0.44, 134/0.66 में से 0.33 है 0, 621/138 रकवा 0.27 में से 0.14 है 0, 175/0.86 में से 0.21 है 0, 337/198 रकवा 0.43 है 0 शालिम, 21/1.48 में से 0.73 है 0, 23/0.99 में से 0.47 है 0, 306/0.04 है 0 शालिम प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के नाम 1/2 भाग व शेष 1/2 भाग का प्रतिवादी संख्या 6 को खातेदार दर्ज किया जावे।

वाके ग्राम तिनकीरुडी तहसील मुण्डावर की आराजी ख0न0 175/0.86 में से 0.65 है 0, 134/0.66 में से 0.33 है 0, 621/138 रकवा 0.27 है 0 में से 0.13, 195/0.20, 711/194 रकवा 0.11, 578/194/0.11, 181/0.38, 182/0.46, 568/197/0.43 है 0 शालिम व ख0न0 21/1.48 में से 0.75 है 0 का प्रतिवादी संख्या 7 को 1/2 भाग का व शेष 1/2 भाग का प्रतिवादी संख्या 8 लगायत 11 को खातेदार दर्ज रिकार्ड किया जावे तथा ख0न0 103/0.48 में से 0.36 है 0, 693/1.19 है 0 में दर्ज वादीगण व प्रतिवादीगण

संख्या 1 लगायत 6 का नाम हजफ किया जाकर उनके स्थान पर उक्त हिस्से को प्रतिवादी संख्या 7 को 1/2 का व प्रतिवादीगण संख्या 8 लगायत 11 को संभाग में शेष रहे 1/2 भाग में दर्ज किया जाकर खातेदार घोषित किए जावे।

वाके ग्राम तिनकीरुडी तहसील मुण्डावर वी आराजी ख0न0 177/0.72, 247/0.20, 699/0.52, 892/0.63 है0 में दर्ज हो रहे वादीगण के हिस्से के अंकन को हजफ किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम के हिस्से के बजाय उक्त आराजी का कुल हिस्सा प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड कर खातेदार घोषित किया जावे।

आराजी ख0न0 1482/1.02, 1489/1.32, 1490/0.70, 1491/0.33, 1492/0.16, 1493/0.77, 1504/1.13 है0 वाके ग्राम गांधीनगर तहसील मुण्डावर के 1/4 भाग बाबत वादी संख्या 1 लगायत 5 के नाम के अंकन को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को 1/8 भाग व प्रतिवादी संख्या 6 को 1/8 भाग का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड किया जावे।

विद्युत कनेक्शन खाता संख्या 2407/0.341 कार्यालय जेपीवीएनएल शाखा मुण्डावर में जो ख0न0 624/192 में फूल सिंह वादी संख्या 8 के नाम है। बंटवारे अनुसार वादी संख्या 1 लगायत 3 के हिस्से में है, को वादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम दर्ज किया जावे का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की बाद विधिवत तलबी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 ने जयें अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर वादीगण के बाद की ताईद में अपना इकबाल जवाब दावा पेश किया।

वकील वादीगण का दावा तकासमा आराजी का होने के कारण निर्णय कर दिये जाने का निवेदन करते हुए प्रार्थना पत्र आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 15 नियम 1 के अन्तर्गत वाद में समस्त प्रतिवादीगण का इकबाल जवाब दावा पेश किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में वाद वादीगण डिकी किये जाने योग्य है के बाबत की प्रार्थना पत्र पेश की। प्रार्थना पत्र पर वकील वादी को सुना गया। बाद सुनवाई प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाती है

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

में शामिल गिराव है। ऐसी स्थिति में वादीगण के वाद को बाबत वकील वादीगण को सुनाया। चूंकि प्रकरण तकासमा आराजी का पेश होकर विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में वादीगण के वाद को डिकी किया जाता है।

--: आदेश :-

अतः यह न्यायालय वादीगण के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति डिकी किया जाता है और वादी संख्या 1 लगायत 5 के कब्जे हिस्से में वाके ग्राम तिनकीरुडी तहसील मुण्डावर की आराजी ख0न0 174/1.48, 193/0.24, 196/0.21, 12/258/0.33, 639/257/0.25, 569/255/0.20, 32/0.33 है0 शालिम एवं ख0न0 40/283/0.11, 641/284/0.11 है0 का 1/2 भाग तथा ख0न0 88 रकबा 1.07 में से 0.27 है0, 87 रकबा 0.95 में से 0.47 है0, शेष रकबा वादी संख्या 6 लगायत 8 के नाम दर्ज रहेगा तथा ख0न0 23/0.99 में से 0.25 है0 व ख0न0 22 रकबा 1.47 में से 0.73 है0 वादी संख्या 1 को 1/2 भाग व वादीगण 2 लगायत 5 को 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं विवादित आराजी ख0न0 712/258 व 711/194 की खातेदार सरजा पत्नी पतराम फौत हो जाने की स्थिति में हो चुकी है एवं उसके वारिस वादी संख्या 6 लगायत 8 है। उक्त आराजी में से सरजा का नाम हटाकर उपरोक्त बंटवारे अनुसार दर्ज किया जावे।

वादी संख्या 6 लगायत 8 को उक्त वाके ग्राम तिनकीरुडी तहसील मुण्डावर की आराजी ख0न0 170/1.24, 184/0.25, 185/0.16, 577/186/0.32, 638/239/0.34, 623/257/0.35, 622/233/0.34 है0 शालिम व 641/284/0.11, 640/283/0.11 है0 का 1/2 भाग ख0न0 87/0.95 में से 0.48 है0, 88/1.07 में से 0.80 है0, 567/90/0.46 है0 शालिम, 23/0.99 में से 0.27 है0, 22/1.47 में से 0.74 है0 के संभाग के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं।

वाके ग्राम तिनकीरुडी तहसील मुण्डावर की आराजी ख0न0 133/0.44, 134/0.66 में से 0.33 है0, 621/138 रकबा 0.27 में से 0.14 है0, 175/0.86 में से 0.21 है0,

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलावर) राज0

37/198 रकबा 0.43 है 0 शालिम, 21/1.48 में से 0.73 है 0, 23/0.99 में से 0.47 है 0, 26/0.04 है 0 शालिम के बाबत प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को 1/2 भाग का व शेष 1/2 भाग का प्रतिवादी संख्या 6 को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है।

वाके ग्राम तिनकीरुडी तहसील मुण्डावर की आराजी ख0न0 175/0.86 में से 0.65, 134/0.66 में से 0.33 है 0, 621/138 रकबा 0.27 है 0 में से 0.13, 195/0.20, 11/194 रकबा 0.11, 578/194/0.11, 181/0.38, 182/0.46, 568/197/0.43 है 0 शालिम व ख0न0 21/1.48 में से 0.75 है 0 का प्रतिवादी संख्या 7 को 1/2 भाग का व शेष 1/2 भाग का प्रतिवादी संख्या 8 लगायत 11 को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है तथा ख0न0 103/0.48 में से 0.36 है 0, 691/1.19 है 0 में दर्ज वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 का नाम हजफ किया जाकर उनके स्थान पर उक्त हिस्से को प्रतिवादी संख्या 7 को 1/2 भाग का एवं शेष 1/2 भाग का प्रतिवादीगण संख्या 8 लगायत 11 को संभाग में खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है।

वाके ग्राम तिनकीरुडी तहसील मुण्डावर व। आराजी ख0न0 177/0.72, 147/0.20, 699/0.52, 892/0.63 है 0 में दर्ज हो रहे वादीगण के हिस्से के अंकन को हजफ किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम के हिस्से वं बजाय उक्त आराजी का कुल हिस्सा के बाबत प्रतिवादीगण को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है।

आराजी ख0न0 1482/1.02, 1489/1.32, 1490/0.70, 1491/0.33, 1492/0.16, 1493/0.77, 1504/1.13 है 0 वाके ग्राम गांधीनगर तहसील मुण्डावर के 1/4 भाग बाबत वादी संख्या 1 लगायत 5 के नाम के अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं उसके स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को 1/8 भाग व प्रतिवादी संख्या 6 को 1/8 भाग का खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है एवं विद्युत कनेक्शन खाता संख्या 2407/0.341 कार्यालय जेपीवीएनएल शाखा मुण्डावर में जो ख0न0 624/192 में फूल सिंह वादी संख्या 8 के नाम है तथा उक्त बंटवारे अनुसार वादी संख्या 1 लगायत 3 के हिस्से में आने की स्थिति में वादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम उक्त विद्युत कनेक्शन किये जाने के आदेश दिये जाते है। बैंक ऋण राशि होने की स्थिति में पक्षकारान को प्राप्त

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर
राजस्व वाद संख्या :- 98/18
ताराचन्द बनाम ओमप्रकाश
निर्णय दिनांक :- 04.09.2018

ने वाले हिस्से, रकबे, आराजी से बैंक ऋण राशि वसूलीय रहेगी। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। तदनुसार पर्या डिग्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 04.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर वाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।



(साधुराम जाट)

उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी - साधुराम जाट (आर0ए0एस0)

वा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
6/18	27.04.2018	04.09.2018

अनुदान

1. ताराचन्द पुत्र चन्दर

2. इन्द्रजीत पुत्र रामनाथ

3. विष्णु पुत्र रामनाथ

4. मन्जू पुत्री रामनाथ

5. सुमन देवी पत्नी रामनाथ

6. जगन्नाथ

7. राजाराम

8. फूलसिंह पुत्रान परताराम जातियान अहीरान निवासीया । तिनकीरुडी तह0 मुण्डावर ।

:-वादीगण

बनाम

1. ओमप्रकाश

2. रतनलाल

3. धर्मवीर

4. बलवन्त

5. हंसराज पुत्रान कालूराम

6. लल्लूराम पुत्र बालाराम

7. मातराम पुत्र मुखराम

8. मनोज कुमार

9. कृष्ण कुमार पुत्रान रंगराव

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

1. सुमन पुत्री रंगराव
2. मूला पत्नी रंगराव जातियान अहीरान निवासीयान तिनकीरुडी तहसील मुम्बई।
3. लैण्ड होल्डर जयें तहसीलदार मुम्बई जिला अलवर।
4. बैंक मैनेजर बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मुम्बई जिला अलवर।
5. सहायक अभियन्ता जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड मुम्बई जिला अलवर।

:- प्रतिवादीगण

दावा-तकसना आराजी

-पर्या डिक्री-

दिनांक:- 04.09.2018

वादीगण की ओर से जगन्नाथ यादव वकील वादीगण की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 04.09.2018 को साधुराम जाट उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुम्बई के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

वादी संख्या 1 लगायत 5 के कब्जे हिस्से में वाके ग्राम तिनकीरुडी तहसील मुम्बई की आराजी खण्ड 174/1.48, 193/0.24, 196/0.21, 712/258/0.33, 639/257/0.25, 569/255/0.20, 232/0.33 हैं शॉज़ेन एवं खण्ड 640/283/0.11, 641/284/0.11 हैं का 1/2 भाग तथा खण्ड 88 रकबा 1.07 में से 0.27 हैं, 87 रकबा 0.95 में से 0.47 हैं, शेष रकबा वादी संख्या 6 लगायत 8 के नाम दर्ज रहेगा तथा खण्ड 23/0.99 में से 0.25 हैं व खण्ड 22 रकबा 1.47 में से 0.73 हैं वादी संख्या 1 को 1/2 भाग व वादीगण 2 लगायत 5 को 1/2 भाग का खातेदार काश्तदार घोषित किया जाता है एवं विवादित आराजी खण्ड 712/258 व 711/194 की खातेदार सरजा पत्नी पतराम फौत हो जाने की स्थिति में हो चुकी है एवं उसके वारिस-वादी संख्या 8 लगायत 8 है। उक्त आराजी में से सरजा का नाम हटा कर उपरोक्त बंटवारे अनुसार दर्ज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (अलवर) राज०

वादी संख्या 6 लगायत 8 को उक्त वाके ग्राम तिनकीरुडी तहसील मुण्डावर की आराजी ख0न0 170/1.24, 184/0.25, 185/0.16, 577/186/0.32, 638/239/0.34, 23/257/0.35, 622/233/0.34 है0 शालिम व 641/284/0.11, 640/283/0.11 है0 व 1/2 भाग ख0न0 87/0.95 में से 0.48 है0, 88/107 में से 0.80 है0, 567/90/0.16 है0 शालिम, 23/0.99 में से 0.27 है0, 22/1.47 में से 0.74 है0 के संभाग के खातेदार काशतकार घोषित किये जाते है।

वाके ग्राम तिनकीरुडी तहसील मुण्डावर की आराजी ख0न0 133/0.44, 134/0.66 में से 0.33 है0, 621/138 रकबा 0.27 में से 0.14 है0, 175/0.86 में से 0.21 है0, 37/198 रकबा 0.43 है0 शालिम, 21/1.48 में से 0.73 है0, 23/0.99 में से 0.47 है0, 06/0.04 है0 शालिम के बाबत प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को 1/2 भाग का व शेष 1/2 भाग का प्रतिवादी संख्या 6 को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है।

वाके ग्राम तिनकीरुडी तहसील मुण्डावर की आराजी ख0न0 175/0.86 में से 0.65 है0, 134/0.66 में से 0.33 है0, 621/138 रकबा 0.27 है0 में से 0.13, 195/0.20, 711/194 रकबा 0.11, 578/194/0.11, 181/0.38, 182/0.46, 568/197/0.43 है0 शालिम व ख0न0 21/1.48 में से 0.75 है0 का प्रतिवादी संख्या 7 को 1/2 भाग का व शेष 1/2 भाग का प्रतिवादी संख्या 8 लगायत 11 को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है तथा ख0न0 103/0.48 में से 0.36 है0, 693/1.19 है0 में दर्ज वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 का नाम हजफ किया जाकर उनके स्थान पर उक्त हिस्से को प्रतिवादी संख्या 7 को 1/2 भाग का एवं शेष 1/2 भाग का प्रतिवादीगण संख्या 8 लगायत 11 को संभाग में खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है।

वाके ग्राम तिनकीरुडी तहसील मुण्डावर की आराजी ख0न0 177/0.72, 247/0.20, 699/0.52, 892/0.63 है0 में दर्ज हो रहे वादीगण के हिस्से के अंकन को हजफ किया जाकर वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम के हिस्से के बजाय उक्त आराजी का कुल हिस्सा के बाबत प्रतिवादीगण को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

आराजी ख0न0 1482/1.02, 1489/1.32, 1490/0.70, 1491/0.33, 1492/0.16, 1493/0.77, 1504/1.13 है0 वाके ग्राम गांधीनगर तहसील मुण्डावर के 1/4 भाग बाबत वादी संख्या 1 लगायत 5 के नाम के अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं उसके स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को 1/8 भाग व प्रतिवादी संख्या 6 को 1/8 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं विद्युत कनेक्शन खाता संख्या 2407/0.341 कार्यालय जेवीवीएनएल शाखा मुण्डावर में जो ख0न0 624/192 में फूल सिंह वादी संख्या 8 के नाम है तथा उक्त बंटवारे अनुसार वादी संख्या 1 लगायत 3 के हिस्से में आने की स्थिति में वादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम उक्त विद्युत कनेक्शन किये जाने के आदेश दिये जाते है। बैंक ऋण राशि होने की स्थिति में पक्षकारान को प्राप्त होने वाले हिस्से, रकबे, आराजी से बैंक ऋण राशि वसूलनीय रहेगी। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगें।

यह पर्चा डिक्री आज तारीख 04.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(साधुराम जाट)

उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी

पदेन सहायक जज क्लर्क
मुण्डावर (अलवर)

मुण्डावर (अलवर)